इकाई 3

लिंग मुद्दे और शिक्षक की भूमिका

भारतीय शिक्षा प्रणाली में लिंग-मुक्त शिक्षा का प्रचार किया जाता हैं, लेकिन जमीनी तौर पर देखे तो यह हवाई किले हैं, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि हमारी शिक्षा प्रणाली 'लिंग-मुक्त" नहीं है। "लिंग मुक्त" शिक्षा का अर्थ हैं, जब शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो तो यह "ध्यान नहीं" दिया जाना चाहिए, कि शिक्षा किसे दी जा रही हैं, किसे विद्यालय में दाखिला देना चाहिए,किसे कौनसा विषय पढ़ना चाहिए, कौनसी शैक्षिक विधि में किसे भाग लेना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में ऐसे बाते तो होती हैं। लेकिन वास्तविकता से ये कोसो दूर है। आज भी लैंगिक रूढ़िवादिता शिक्षा प्रणाली में दिखाई देगी। यदि हमको एक स्वस्थ समाज देना हैं, तो लिंग मुक्त प्रणाली लानी होगी।

लिंग मुक्त शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि हैं। वो ऐसा नायक हैं, जो विद्यार्थियों की सफलता या असफलता को आकार देता हैं। विद्यार्थियों में लिंग के प्रति उचित धारणा और दृष्टिकोण लाने के लिए वह पाठ्यक्रम की व्याख्या उचित रूप में कर सकता हैं, शिक्षार्थियों के साथ वार्तालाप करने, गृहकार्य देकर उन्हें उनके कर्तव्यो से परिचित करवा सकता हैं।

लिंग समानता के संबंध में उपयुक्त धारणा विकसित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारा समाज पहले ही लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रदूषित है। एक शिक्षक विद्यार्थी को तैयार कर सकता है, लिंग समान समाज को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए आवश्यक सही समय पर उचित यौन शिक्षा।

3.1. यौन शिक्षा Sex Education

विद्यालय में यौन शिक्षा एक व्यापक विषय के रूप में नहीं लिया जाता हैं। इसका संबंध शरीर रचना, प्रजनन, गर्भनिरोधक और यौन से संबन्धित होता हैं, जो विज्ञान विषय के अंतर्गत होता हैं। भारतीयो की मान्यता के अनुसार यौन शिक्षा पर बात करना पाप माना जाता हैं। यौन एक पापपूर्ण विषय हैं, अतः इसकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यौन शिक्षा न केवल यौन व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करती हैं, बल्कि प्रजनन क्षमता, स्वास्थ्य, यौन दृष्टिकोण, यौन

स्वास्थ्य जो कि सांस्कृतिक, नैतिक, और धर्म मूल्य आदि से संबन्धित होती हैं। सकारात्मकता रूप से यौन, मानवीय क्षमता और संतुष्टि और आनंद का स्रोत हैं।

यौन शिक्षा किसी को अपने मूल्यों का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करती है। यौनशिक्षा के कई पहलू हैं, जैसे दृष्टिकोण और निर्णय लेना, संचार और जोखिम-घटाने के कौशल का निर्माण करने में सहायता प्रदान करना।

यौन शिक्षा (Sex education) मानव यौन शरीर रचना विज्ञान, लैंगिक जनन, मानव यौन गतिविधि, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, यौन संयम और गर्भनिरोध सहित विभिन्न मानव कामुकता से सम्बंधित विषयों सम्बंधित अनुदेशों को कहा जाता है। यौन शिक्षा का सबसे सरलतम मार्ग माता-पिता अथवा संरक्षक होते हैं। इसके अलावा यह शिक्षा औपचारिक रूप से विद्यालयी कार्यकर्मों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों से भी दी जाती है। पारम्परिक रूप से अधिकतर संस्कृतियों में युवाओं इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती एक तरह से यह वर्जित थी। १९ वीं सदी में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलनों ने इस शिक्षा को सामाजिक स्वच्छता के परिचय के रूप में प्रस्तुत किया, उत्तर अमेंरिका के कुछ विद्यालयों में यौन शिक्षा के रूप में शिक्षण आरम्भ किया।

यौन शिक्षा, जिसे कभी-कभी कामुकता शिक्षा भी कहा जाता है, सेक्स और रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया हैं। यौन शिक्षा, यौन पहचान, रिश्ते और अंतरंगता के बारे में दृष्टिकोण और विश्वास बनाना के लिए दी जानी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा विद्यालय में यौन शिक्षा को अनिवार्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विषय के गोपनीयता के कारण यह भारत की शैक्षिक प्रणाली में सबसे अधिक बहस का विषय है। यौन शिक्षा केवल एक शिक्षा नहीं है, यह विद्यार्थियो को कई सूक्ष्म मुद्दों के बारे में सिखाती है, यौन प्रजनन, यौन स्वास्थ्य, और कई अन्य छिपे हुए मुद्दों जिसमें माता-पिता अधिकांश समय अपने बच्चों के साथ बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं,उस पर केन्द्रित होती हैं। भारत की यौन शिक्षा पश्चिम से काफी अलग है, क्योंकि वहाँ के लिए जो वैध है, वो यहाँ नहीं के लिए नहीं। विद्यार्थी को सेक्स करने के लिए आजकल की यौन शिक्षा न केवल एक विकल्प है, बल्कि जीवन की आवश्यकता भी है। किशोरों के लिए यौन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उनके भविष्य के लिए मानव शरीर रचना की अवधारणाओं को समझना अति आवश्यक हैं।

विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2000 NCERT द्वारा इस बात कि जोरदार सिफारिश की गई हम वैश्वीकरण के चरण जिन समस्या का सामना कर रहे हैं, वह हैं, किशोर गर्भावस्था, सेक्स और ड्रग संबंधी अपराध और हिंसा आदि।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परिषद ने एक पैकेज तैयार किया हैं, जिसमें किशोर शिक्षा पर आधारित नए पाठ्यक्रम को तैयार किया हैं। इसमें वे अध्याय रखे गए हैं, जिसमें विद्यार्थियो को मानव प्रजनन प्रणाली के बारे में सिखाएगा, साथ ही बढ़ती शरीर की विशेष आवश्यकताएं, कामुकता, किशोर यौन दुरुपयोग और यौन हिंसा और इसका मुकाबला करने का तरीके आदि सम्मलित किए गए हैं।

सांस्कृतिक व वैज्ञानिक रूप से युवा वर्ग में यौन शिक्षा का प्रभावी आदान- प्रदान किया जा सकता हैं। यौन शिक्षा के द्वारा युवा अपने दृष्टिकोण व मूल्यों का पता लगा सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में स्कूली बच्चों और युवाओं को यौन शिक्षा प्रदान करना एक उभरती अवधारणा है।

3.2. यौन शिक्षा की अवधारणा Concept of Sex Education

यौन शिक्षा कोई नवीन कल्पना नहीं हैं। यौन शिक्षा से तात्पर्य हैं, यौन क्रीड़ाओं तथा सम्बन्धों का ज्ञान करना। यौन शिक्षा विवाह पूर्व या विवाहेत्तर यौन संबंध, यौन स्वतन्त्रता , काम –कला, यौन तृप्ति, आप्रकृतिक यौन क्रियाओं अथवा उन्मुक्त यौन व्यवहार का पर्याय हैं, यौन शिक्षा का संबंध यौन विकृतियों तथा यौन संबंधी गलत, अपर्याप्त व भ्रामक जानकारी के निषेध से हैं। प्रायः मासिक धर्म, हस्तमैथुन, वीर्य क्षय, स्वप्नदोष आदि के बारे में भ्रामक जानकारी देकर डराया जाता हैं। वस्तुतः किशोरावस्था मंर होने वाले शारीरिक परिवर्तनों तथा यौन रोग होने के कारणों को समझाना अत्यंत आवश्यक हैं। यौन शिक्षा इसी उद्देश्य की प्राप्ति करता हैं। यौन शिक्षा का संबंध यौन क्रियाओं तथा उनके प्रभाव से हैं, यौन संबंधी आशंकाओं तथा जिज्ञासाओं को जानकार यौन सम्बन्धों को सुरक्षात्मक बनाने के उपाय यौन शिक्षा के अंतर्गत आते हैं।

1. यौन शिक्षा अपने सीमित उद्देश्यों के साथ युवा पीढ़ी को प्रजनन संबंधी ज्ञान देने का कार्य करती थी, मगर पिछले कुछ वर्षों से इसका विस्तार हुआ हैं। अब इसमें व्यक्ति व समाज के जीवन के यौन संबंधी समस्त पक्ष शामिल हो गए हैं। यह यौन कार्य का ज्ञान हैं- इसमें पुरुष व महिला सम्बन्धों के संदर्भ में भावनाओं, चुनौतियों तथा जिम्मेदारियों की समझ विकसित की जाती हैं।

2. यौन शिक्षा का संबंध "यौन व्यवहार" से हैं, जिसमें गर्भ निरोधक, परिवार नियोजन, यौन रोग एवं यौन संबंधी भावात्मक तथा नैतिक दृष्टिकोण, समलैंगिकता आदि का ज्ञान सम्मिलित हैं। यह ज्ञान कुछ विद्यालयों में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान अथवा जीव विज्ञान से जोडकर दिया जाता हैं।
3. यौन शिक्षा का अर्थ हैं – लोंगों को यौन संबंधी नैतिकता एवं यौन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु सोच को विकसित करना, यौन संबंधी समस्याओं, यौन व्यवहार, यौन स्वास्थ्य आदि के संदर्भ में भ्रांतियों का निराकरण करने की जानकारी देना।
4. यौन शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा का समर्थन करती हैं, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व मूल्यों, नैतिक आदर्श, धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा यौनिकता संबंधी ज्ञान शामिल हैं।
5. यौन शिक्षा किशोर वर्ग के विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया में होने वाले विभिन्न पक्षों, विशेषकर प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य की वैज्ञानिक जानकारी देती हैं।
6. यौन शिक्षा में किशोरावस्था के परिवर्तनों एवं समस्याओं पर विशेष बल दिया जाता हैं जिससे किशोर पीढ़ी को अपने शारीरिक विकास की सही जानकारी हो सके, साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति के तहत मान्य यौन व्यवहार की सीमाओं के प्रति सच्ची आस्था उत्पन्न की जाए।

3.3. यौन शिक्षा के उद्देश्य Objectives of Sex Education

शिक्षा के उद्देश्य होते बालक का सर्वगीण विकास करना, और यौन शिक्षा उसे मानसिक परेशानी से बचा सकती हैं :-

भारतीय परिप्रेक्ष्य में यौन शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिए :-

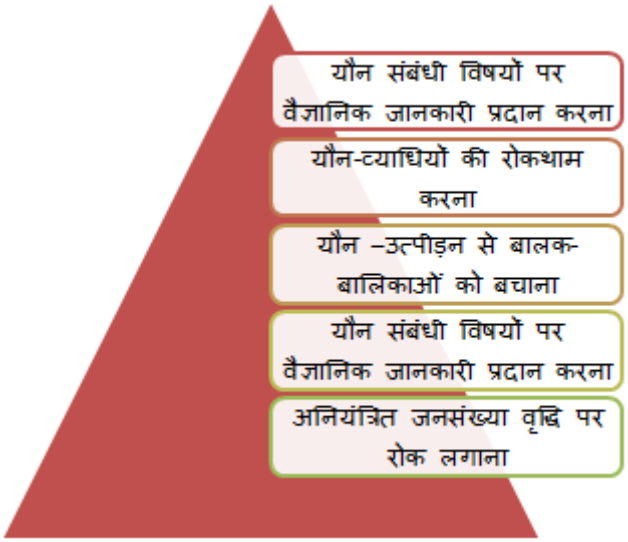

भारतीय परिप्रेक्ष्य में यौन शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिए :-

NCERT द्वारा किशोरावस्था में यौन शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:-

1. विद्यार्थियों को यौन स्वास्थ्य के संबंध में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व वैयक्तिक रूप में सही तथा विश्वसनीय जानकारी देना, ताकि वे विकास व वृद्धि की उचित प्रक्रिया को समझ सकें।
2. उसमें यौन मामलों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करना, ताकि वे विषम लिंगी के प्रति सम्मान एवं यौन मामलों में ज़िम्मेदारी भरा व्यवहार कर सकें।
3. उनमें एड्स के परिणामों, एच.आई.वी. के कारणों एवं प्रभावों की समझ विकसित करना तथा इससे बचाव के उपायों को समझाना।
4. उन्हे नाशखोरी के कारणों, परिणामों एवं उपचार के संबंध में जाग्रत एवं प्रबुद्ध करना।

यौन शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मार्गदर्शन (यूनेस्को, 2009) :-

प्रभावी यौन शिक्षा कार्यक्रम किशोरों को निम्नलिखित तरीकों से सहायता करता है :-

1. गलत सूचना को कम करता हैं।
2. सही ज्ञान बढ़ाना हैं।
3. स्पष्टता और सकारात्मक मूल्यों और दृष्टिकोण को मजबूत करता हैं।
4. सूचित निर्णय लेने और उन पर कार्रवाई करने के लिए कौशल बढ़ाता हैं।
5. सहकर्मी समूहों और सामाजिक मानदंडों के बारे में धारणा में सुधार करता हैं।
6. माता-पिता या अन्य विश्वसनीय वयस्कों के साथ संचार बढ़ाता हैं।

औपचारिक यौन शिक्षा प्रदान करने में विद्यालयों को सबसे पहले, विद्यालय प्रबंधन को प्रेरित करना चाहिए, और यौन शिक्षा को लागू करने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सही वातावरण बनाने के लिए युवाओं को पर्याप्त समर्थन करना चाहिए। यौन शिक्षा के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है, यौन शिक्षा विवादास्पद प्रकृति की है, लेकिन जरूरी सहायक और समावेशी नीतियां निर्दिष्ट की जाएं है, तो यह परेशानी कम हो जाती हैं।

औपचारिक यौन शिक्षा विभिन्न कारकों को लागू करने में विदयालयों की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए और परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है, जैसे कि क्या विदयालयों में जीवन शैली के लिए एक विशिष्ट अवधि निर्धारित है, या क्या जीवन कौशल की कक्षा हैं, तथा विद्यालय में किशोर मुद्दों से निपटने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया हैं, और क्या विद्यालय मुद्दों पर शिक्षकों, अभिभावकों और किशोरों को संवेदनशील बनाने के लिए यौन शिक्षा से संबंधित कार्यशाला आयोजित करता है।

यौन शिक्षा है, आंशिक रूप से अनिवार्य जीव विज्ञान कक्षाओं में आठवी से दसवी कक्षा तक प्रदान की जाता है, जिसके अंतर्गत हार्मोन, मानव प्रजनन प्रक्रिया और यौन संचारित रोगों से संबन्धित जानकारी दी जाती हैं।

3.4. भारत में यौन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की संरचना Structure of National Programs for Promotion of Sex Education in India

Family life education (FLE):- भारतीय पाठ्यक्रम में शामिल यौन शिक्षा के मौजूदा मौजूदा कार्यक्रम को किशोर FLE कहा जाता है, और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पारिवारिक जीवन / यौन शिक्षा (FLE) के प्रमुख उद्देश्यों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से वर्णित किया गया हैं:-

1. भावनात्मक रूप से स्थिर बच्चों और किशोरों को विकसित करने के लिए जो अपनी भावनाओं से दूर किए बिना अपने आचरण के बारे में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित और पर्याप्त महसूस करते हैं।

2. व्यवहार और आचरण के मानकों को विकसित करना, जो यह सुनिश्चित करेगा, कि युवा और वयस्क अपने व्यक्तिगत विकास पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव, अन्य व्यक्तियों की भलाई और समग्र रूप से समाज के कल्याण पर विचार करके अपने यौन और अन्य व्यवहार का निर्धारण करेंगे।

3. न केवल यौन व्यवहार के भौतिक पहलुओं बल्कि इसके मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय पहलुओं को भी ज्ञान प्रदान करने के लिए, ताकि यौन अनुभव को व्यक्ति के कुल व्यक्तित्व के हिस्से के रूप में देखा जा सके।

4. कमेंटी ऑफ द चाइल्ड (CRC, WHO) की समिति ने 2013 में बच्चों और किशोरों के अधिकारों के बारे में दिशानिर्देश प्रकाशित किए और विशेष स्वास्थ्य और विकास की जरूरतों और किशोरों और युवाओं के अधिकारों को पहचानने के लिए राज्यों के दायित्वों पर दिशानिर्देश जारी किए।

WHO की रिपोर्ट में 2014 में "विश्व के किशोरों के लिए स्वास्थ्य" शीर्षक से इसकी परिकल्पना की गई है । यौन शिक्षा प्रदान करते समय इन दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए, स्वास्थ्य पेशेवरों की विशेषज्ञता न केवल विद्यार्थियो, बल्कि उन्हें शिक्षित करने वाले शिक्षकों को शिक्षित करने में अपरिहार्य हो जाती है । मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों का FLE कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका होती है । जो मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारकों पर विचार के साथ भारत के युवाओं के लिए इन संभावित भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण मुद्दों को पेश करते हैं।

5. FLE कमजोर युवा आबादी को उनके यौन अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें हिंसा, यौन शोषण और छेड़छाड़ के किसी भी अवांछित कार्य से बचाने के लिए सशक्त बनाने में मदद कर सकता है। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), नारी रक्षा समिति ने प्रस्तुत किया था, कि भारत में बलात्कार के मामलों के उदय को रोकने में विद्यालय पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा की भूमिका हो सकती है।

भारत सरकार विद्यालय में यौन शिक्षा को अनिवार्य करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह भारत की शैक्षिक प्रणाली में सर्वाधिक बहस का मुद्दा है। सचमुच यौन शिक्षा सेक्स के लिए एक शिक्षा नहीं है, यह विद्यार्थियो को कई सूक्ष्म मुद्दों के बारे में सिखाती है, यौन प्रजनन, यौन स्वास्थ्य, और कई अन्य छिपे हुए मुद्दों जैसे कि माता-पिता अधिकांश समय अपने बच्चों के साथ बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं।

किशोर शिक्षा पर नए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए, जो विद्यार्थियो को सिखाएगा मानव प्रजनन प्रणाली के बारे में। इसमें वे अध्याय शामिल जिनमें बढ़ती उम्र की विशेष आवश्यकताएं, कामुकता, किशोर लड़कियों की भेद्यता, यौन दुरुपयोग और हिंसा और इसका मुकाबला करने का तरीका आदि हों।

प्रभावी कामुकता शिक्षा युवा लोगों को आयु-उपयुक्त सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और वैज्ञानिक रूप से सटीक जानकारी प्रदान कर सकती है। साथ ही ऐसे शिक्षा का संवेश हो जिसमें युवाओं को उनके दृष्टिकोण और मूल्यों का पता लगाने और निर्णय लेने और अन्य जीवन कौशल सक्षम करने में सहायता मिले।

यौन शिक्षा, जिसे कभी-कभी कामुकता भी कहा जाता है, शिक्षा या सेक्स और रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया हैं। यौन शिक्षा, यौन पहचान, रिश्ते और अंतरंगता के बारे में दृष्टिकोण और विश्वास बनाना की प्रक्रिया हैं।

विद्यालयीन बच्चों और युवाओं को यौन शिक्षा प्रदान करना एक उभरती हुई बात है, हालाँकि, इसके बारे में कोई एकल दृष्टिकोण नहीं है।

3.5. यौन शिक्षा की आवश्यकता Need for Sex Education

सदियों से महिलाओं के साथ होने वाले लिंग भेद के कारण तथा लिंग के प्रति नकारात्मक भाव होने के कारण यौन शिक्षा की आवश्यकता हैं। शिक्षिकों में ही लिंग के प्रति नकारात्मक भावना देखने की भावना होती हैं।

आमतौर पर विद्यालयों में निम्न संभावना देखी जाती हैं:-

- लड़कियों और महिलाओं को आमतौर पर कम ध्यान दिया जाता हैं। उन्हे प्रोत्साहित कम किया जाता हैं।
- ये गलत धारणा बनी हैं, कि महिलाओं को उनके आकर्षण या नीरसता के लिए प्रशंसा की जाए है, जबकि पुरुषों को उनके काम और रचनात्मकता के लिए प्रशंसा की जाये है, अर्थात प्रशंसा में भी भेद दिखाई देगा।
- जब लड़के बोलते हैं, शिक्षक अक्सर उनके साथ बातचीत में संलग्न होते हैं, जबकि लड़कियों को सर्वव्यापी "उह-हह" प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है।
- शिक्षकों को लड़कों को बोलने के लिए कहा जाता हैं, यहां तक कि जब लड़कियां जवाब देने के लिए हाथ उठाती हैं।
- लड़कों को लड़कियों की तुलना में उनके नाम से बुलाया जाने की अधिक संभावना है।
- अधिकांश शिक्षक लैंगिक समानता में विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन कक्षा में उनका दृष्टिकोण इस दावे के अनुरूप नहीं है। उनके लिंग पक्षपाती या कक्षा में लैंगिक दृष्टिकोण उनके लिंग संबंधी धारणाओं का एक

परिणाम है। दूसरे शब्दों में, वे एक पूर्व नियोजित सेक्सिस्ट एजेंडे का पालन नहीं करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के विश्वासों के अनुरूप कार्य करते हैं।

- शिक्षक बालकों से कठिन प्रश्न, जिसमें सोचने के क्षमता ज्यादा लगे पूछे जाते हैं,जैसे "हम लोकतंत्र को क्यों पसंद करते हैं ?" इसके विपरीत, लड़कियों से तथ्यात्मक, निचले क्रम के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जनतंत्र क्या हैं ?"

यौन शिक्षा की आवश्यकता निम्न परिपेक्ष्य में है :-

- **मनोवैज्ञानिक दृष्टि से :-** जीवन की सबसे कठिन समय हैं, किशोरवस्था । जिसमें आवेग /संवेग पूर्ण उफनता पर रहते हैं । इस अवस्था में वह किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं । किशोर खुद को अपने जीवन के एक असुरक्षित चरण में पाते हैं, जहां सहकर्मी व मित्रो के दबाव सामाजिक रूप से अस्वीकार्य अर्थात आपराधिक समूह में शामिल हो जाते हैं। यह समय ऐसा हैं, जहां उन्हे मित्र ही सही लगते हैं, वह उनकी दृष्टि से देखना पसंद करते है। जिससे युवाओं में तेजी से उभर रही हैं बलात्कार की संस्कृति, जिसे जल्द से जल्द रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए न केवल संस्थाओं और संगठनों से, बल्कि उस समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों से भी केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यौन अपराधियों के पास अक्सर मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक जोखिम कारक होते हैं, जो अपराध को उकसाते हैं। किशोरावस्था के बीच यौन शोषण, हिंसा और शारीरिक शोषण की व्यापकता बढ़ रही है, और मादक द्रव्यों के सेवन के साथ सह-घटना हो रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित भारत में बाल दुर्व्यवहार पर एक अध्ययन, रिपोर्ट प्रस्तुत की है, 53% लड़कों और 47% लड़कियों ने किसी न किसी रूप में

यौन शोषण का सामना किया हैं। सेक्स और ड्रग्स के बारे में शिक्षा के माध्यम से जानकारी दी जा सकती है, क्योकि शिक्षा द्वारा ही संभावित खतरनाक दृष्टिकोण के विकास को हतोत्साहित करना संभव हैं, शिक्षा द्वारा नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को सिखाया जा सकते है। समाज के आदर्श बताए जा सकते हैं।

यौन शिक्षा रिश्तों की शिक्षा, एक निश्चित स्तर पर यौन संयम और शिक्षण शामिल है, उन बच्चों के स्तर तक सुरक्षित सेक्स का अभ्यास करने के लिए, जिन्हें यौन सक्रिय माना जाता है। इसके लिए उचित मार्गदर्शक होने के लिए इसका दावा मजबूत आधार रखता है। किशोरावस्था एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक है, क्योंकि 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच, कई प्रमुख जैविक, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक घटनाएं होती हैं, जो वयस्क जीवन के लिए मंच निर्धारित करती हैं। किशोरावस्था है तकनीकी, औद्योगिक समाज का आविष्कार जो एक असंतोष द्वारा चिह्नित है, बचपन और वयस्कता के बीच में स्थित। किशोरावस्था जीवन का एक काल है, यह तीव्र यौन रुचि की अवधि के रूप में माना जाता। किशोरावस्था सभी पहलुओं में जबरदस्त चुनौतियों का सामना करने की अवधि है, विशेष रूप से कामुकता विकास हैं। लगभग सभी चुनौतियों के दौरान यह अवधि युवावस्था से जुड़ी हुई है।

WHO के अनुमान के अनुसार, दुनिया में हर पांच में से एक व्यक्ति एक किशोर हैं । अनुमानित 1.2 बिलियन के साथ विश्व की सबसे बड़ी किशोर आबादी है। यह लगभग 85% विकासशील देशों में रहती हैं। इसके अलावा, दुनिया के आधे से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम है। कई किशोर हर साल समय से पहले मर जाते हैं, युवा पुरुष और महिलाएं दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं, जैसे हिंसा, गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं और अन्य बीमारियां आदि। नतीजतन, किशोर प्रजनन स्वास्थ्य एक है, वैश्विक स्वास्थ्य का तेजी से महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर रहा हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम (2002) में किशोर यौन और पर विशेष ध्यान दिया गया वह था, प्रजनन स्वास्थ्य।

- **सामाजिक दृष्टिकोण :-** किसी व्यक्ति का यौन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम सम्मलित हैं। ये भी एक पहचान के रूप में विकास से जुड़े हुए तथा इनके अंदर समाहित हैं सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसारण एक से अगली पीढ़ी के लिए समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है; इसमें से संबंधित मूल्य शामिल हैं जिसमें लिंग और कामुकता आती हैं। कई समुदायों में, युवा लोगों के सूचना और मूल्यों के स्रोत माता-पिता, शिक्षकों, मीडिया और

साथी आदि। ये अक्सर उन्हें लिंग के बारे में वैकल्पिक या परस्पर विरोधी मूल्यों के साथ बाते प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सांस्कृतिक कारणो से माता –पिता इस विषय पर बात करने से बचते हैं।

समाजीकरण की विभिन्न एजेंसियों जैसे परिवार में पितृसत्ता, संस्थागतकरण विद्यालय, मीडिया, धार्मिक, कानूनी और राजनीतिक संस्थान व्यक्तियों को लिंग पक्षपात के ट्रांसमीटर बनने के लिए बाध्य करते हैं । विद्यालय एक ऐसा स्थान है, जहां शिक्षा द्वारा लिंग पक्षपात को रोका जा सकता हैं । केवल शिक्षक सचेत रूप से मदद कर सकते हैं, पितृसत्ता का सामना करने के लिए हैं । शिक्षा का पहला कदम एक समान दुनिया बनाना है।

लैंगिक मुद्दों से संबंधित स्कूलों में मौजूदा स्थिति न केवल असंतोषजनक है, लेकिन समग्र रूप से विद्यार्थियो के व्यक्तित्व को भी नुकसान पहुंचाता है। जिसमें कई कर्मी शामिल हैं । शिक्षा प्रणाली, अभी भी इस बात से अवगत नहीं है कि वे लैंगिक पूर्वाग्रह को दोहरा रहे हैं। जबसे शिक्षक स्वयं अपने स्वयं के लिंग पक्षपाती विश्वासों और दृष्टिकोणों से अवगत नहीं होते हैं, और वह इस व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे परिस्थितियों में लिंग मुक्त समाज होने की उम्मीद करना मुश्किल है।

सामाजिक परिस्थियों का एक और उदाहरण हैं, लंबे समय से चली आ रही एक परंपरा बालविवाह जिसमें लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। जिसके कारण गर्भावस्था और असुरक्षित गर्भपात से उत्पन्न शिकायतें होती हंव और 15-19 वर्ष की आयु की महिलाओं में मृत्यु का एक प्रमुख कारण हैं। 20% समूह में 17 वर्ष की आयु से पहले बच्चे के जन्म का अनुभव होने के साथ, गर्भधारण अक्सर निकटता से होता है। किशोर माताओं के बीच मातृ मृत्यु का जोखिम 25-39 वर्ष की आयु की माताओं की तुलना में दोगुना है। परिवार नियोजन, गर्भाधान और गर्भनिरोधक के बारे में शिक्षा, स्थिति को सुधार सकती है, और युवतियों को अपने स्वयं के निर्णय लेने का अवसर दे सकती है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक बाधाओं जैसे, कि साक्षरता की कमी और विद्यालय की उपस्थिति प्राथमिक स्तर की बाधाओं के रूप में खड़ी हो सकती है, जिस पर यौन शिक्षा एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, प्रमुख घरेलू सर्वेक्षणों के डेटा बताते हैं, कि भारत में युवाओं के बीच FLE के कथित महत्व का प्रसार अपेक्षाकृत अधिक (81%) था। हालाँकि, जनसंख्या के भीतर विशाल जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक अंतर के कारण केवल 49% महिलाओं को वास्तव में FLE प्राप्त हुआ।

यौन शिक्षा के आवश्यकता का एक और महत्वपूर्ण कारक हैं, यौन रोग । 15-24 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर भारत में एड्स बीमारी में 31% तक का योगदान हैं, जो की देश की आबादी का लगभग 25% शामिल है। अंतिम यूएनएड्स की रिपोर्ट के अनुसार, १५ वर्ष या इससे अधिक आयु के २३,००० लोग भारत में एचआईवी के साथ जी रहे थे। साक्ष्य से पता चलता है कि एसटीआई / प्रजनन पथ संक्रमण (आरटीआई) का प्रारंभिक निदान और उपचार, इन लक्ष्य समूहों के बीच शिक्षा के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता हैं। उन्हे बीमारी के प्रसार की रोकथाम, गर्भनिरोधक और यौन स्वास्थ्य जांच परीक्षणों की जानकारी देकर शिक्षित किया जा सकता है। इस तरह, अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई विद्यालयीन यौन शिक्षा समुदाय में बीमारी से जुड़ी अज्ञानता, हिचकिचाहट, शर्म और भय का मुकाबला करने में मदद कर सकती है।

- **एक मानव अधिकार के रूप में :-** यौन शिक्षा को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में माना जाता है। जो कि प्रतिष्ठित एनजीओ जैसे कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल प्लान्ड पैरेंटहुड फेडरेशन के साथ-साथ वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर सेक्सुअल हेल्थ (डब्ल्यूएएस) द्वारा व्यापक शीर्षक "प्रजनन अधिकारों" के तहत आता है। यौन अधिकारों के WAS घोषणा (2014) में हालिया संशोधन में इस आवश्यकता पर जोर दिया गया है - शिक्षा का अधिकार और व्यापक यौन शिक्षा का अधिकार है। व्यापक लैंगिकता शिक्षा उम्र, वैज्ञानिक रूप से सटीक, सांस्कृतिक रूप से सक्षम, मानवाधिकारों, लैंगिक समानता, और लैंगिकता आनंद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए, इस आधार पर यौन शिक्षा सामान्य स्वास्थ्य के साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। एक उचित वातावरण जीवन की गुणवत्ता और पसंद के हिसाब से बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। ICPD एजेंडा के तहत किए गए प्रतिबद्धताओं के तहत किशोरों और युवाओं के लिए मुफ्त और अनिवार्य व्यापक यौन शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार यौन शिक्षा प्रदान नहीं करने से, वह भारतीय किशोरों और युवाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त है।

3.6. लैंगिक मुद्दों में शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक व परामर्शक के रूप में Role of teacher as a guide and counselor in gender issues

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का जिक्र करते समय, लैंगिक समानता को सक्षम बनाना चाहिए। अतः लड़कियों का ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए लैंगिक समानता में रही समस्या को शून्य करना चाहिए, जैसे यौन रूढ़िवादिता और पुरुषत्व और स्त्रीत्व की अवधारणाएं जो समाज को सीमित करती हैं । अतः शिक्षकों के लिए कुछ तैयारी की अपेक्षा की जाती हैं :-

शिक्षक का लिंग मुक्त समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है : दृष्टिकोण से तात्पर्य हैं, बदलती धारणाओं, समझ, अपेक्षाओं, विश्वासों और भाषा से है । जो एक अनुभव, विरासत में मिली सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली तथा गहराई से सोच के प्रचलित तरीके में निहित होती हैं ।

लिंग संबंधी मुद्दों के बारे में शिक्षक अपनी जागरूकता की जाँच करें : लैंगिक समानता बनाने का वातावरण शिक्षकों की लैंगिक जागरूकता को बढ़ा रहा है, या नहीं इसकी जांच स्वयं शिक्षक ने करनी चाहिए।

शिक्षक का स्वयं दृष्टिकोण: शिक्षक एक बार अपने स्वयं के दृष्टिकोण के बारे में पता है, वे उन्हें संशोधित करने और सुधार करने के लिए बेहतर अवसर रखते हैं, व संशोधन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करता हों ।

शिक्षक यह समझें कि लिंग एक सामाजिक निर्माण है: इसलिए उसे सचेत रूप से अपना कार्य करना चाहिए । शिक्षक को यह भलीभाँति ज्ञात होना चाहिए, कि सेक्स एक जैविक तथ्य है, और लिंग एक सामाजिक निर्माण है।

लड़के और लड़कियों के पास कोई प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक या सामाजिक मतभेद नहीं है, लेकिन यह समाज है, जो उन्हे लिंग की भूमिकाएं सीखने देता है। इसलिए, शिक्षकों को कक्षा में लड़कों को सवाल हल करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वे "स्वाभाविक रूप से" गणित में अच्छे होते हैं, या लड़कियों को सफाई करने गृहकार्य (घर का काम) करने के लिए नहीं कहना चाहिए हैं।

इन तैयारियों के अलावा शिक्षक को कुछ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और कुछ रणनीतियों का पालन करें। वे इस प्रकार हैं:

पाठ्यक्रम का हस्तांतरण : वह शिक्षक जो लिंग के मूल्यों को प्रसारित करने का निर्णय लेता है, वह कक्षा की समानता के लिए पाठ्यक्रम और छिपे हुए पाठ्यक्रम दोनों को अपने शिक्षण में सम्मलित करते है। पाठ्यक्रम कक्षा में शामिल अध्ययन की वास्तविक शाखाओं को दर्शाता है, और यह लिखित उद्देश्य और मूल्यांकन तकनीक के रूप में होता है । दूसरी ओर छिपा हुआ पाठ्यक्रम, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह स्पष्ट नहीं है । शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल वह ज्ञान जो एक समाज अपनी आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित किया जाता है। पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ अनुकूलन कर सकते हैं, लिंग के पूर्वाग्रह को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं ।

छिपा हुआ पाठ्यक्रम का हस्तांतरण: ऐसा पाठ्यक्रम जो लिखित में न हो लेकिन मूल्यों की स्थापना के लिए इसकी आवश्यकता होती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी तीन विशेषता होती हैं, विद्यार्थी लंबे समय तक विद्यालयो में रहते हैं, अतः शिक्षक उनसे भली भाति परिचित होते हैं, दूसरा प्रशासन नहीं बदलता, और यह अनिवार्य हैं । विद्यार्थियो से अपेक्षा की जाती है, कि वे कुछ नियमों को सीखें और उनका पालन करें । इसलिए शिक्षक को इन नियमों की पालन करने के लिए कुछ रणनीतियां विकसित करनी चाहिए। विद्यालय के विद्यार्थियो द्वारा धैर्य के साथ "उच्च अधिकारियों की योजनाओं और नीतियों को स्वीकार करना सीखे । दूसरे शब्दों में, अलिखित विद्यालय के नियम जो विद्यार्थियो को मानने के लिए अपेक्षित हैं। उन्हे वे स्वेच्छा से स्वीकारे । शिक्षा के जिन संदेशों का लेकर जिस तरह से विद्यालय चलाया जा रहा है, उसके लिए शिक्षक कक्षा में शक्ति का छिपे हुए पाठ्यक्रम का निर्माण कर प्रयोग करना चाहिए । छिपे हुए पाठ्यक्रम को लागू करने में जो बाधाओं में से एक है लिंग पक्षपात , क्योंकि ज्यादातर समय नियमों के अलग और भेदभावपूर्ण से भरे हो सकते हैं । इसके लिए शिक्षकों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे लड़कों और लड़कियों को श्रम के घरेलू विभाजन के अनुरूप कार्य सौंपना या अलग-अलग ड्रेसिंग कोड स्थापित करना या सेक्स पर आधारित समूह बनाना और इस तरह अलग करना आदि सभी विद्यार्थियो को एक नकारात्मक संदेश देते हैं। इनसे बचना चाहिए ।

छिपे हुए पाठ्यक्रम को "आकार" के रूप में देखा जा सकता है, सामाजिक व्यवस्था के अदृश्य हाथ से", अर्थात सामाजिक परिवर्तन के द्वारा।

पाठ्यक्रम के सरलतम प्रचार के लिए आवश्यक हैं, पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देना, क्योकि यह एक चिंता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं पाठ्य पुस्तकों में सेक्स रोल स्टीरियोटाइड होते है। शोध से पता चलता है, कि लिंग की भूमिकाएं पाठ्य पुस्तकों में निर्धारित होती हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है, रूढ़ियों का उपयोग करके ध्यान आकर्षित करना आसान है, और पुस्तक समाज का दर्पण होती हैं। लेकिन लिंग समानता के लिए परिवर्तन आवश्यक हैं।

समाज में, शिक्षक सबसे प्रभावशाली हैं, क्योंकि छात्र उन्हें मॉडल के रूप स्वीकार करते हैं, और उनकी हर बात का पालन करते हैं। इसलिए, वे परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए शीर्ष स्थान पर हैं। कक्षा में शिक्षक हर स्तर पर प्रभावशाली होते हैं, चाहे वह फिर प्रशासन के शीर्ष स्तर ही क्यों न हों। हालाँकि सरकार सत्ता में रहते हुए उच्च निर्णय लेती है, फिर भी शिक्षकों के पास लागू करने के तरीके में फर्क करने की शक्ति है। सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षक प्रारंभिक बिंदु और प्रमुख एजेंट हैं। समाज में गतिशीलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा बुनियादी उपकरणों में से एक के रूप में कार्य करती है। समानता केवल कक्षाओं के बीच निरंतर जुड़ाव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी समानता केवल तभी संभव है, जब विद्यार्थियो का वयस्क जीवन उनकी अपनी सफलता, क्षमताओं से निर्धारित होता है, और बाहरी परिस्थितियों जैसे कि कक्षा, लिंग, स्तर आदि से नहीं। शिक्षक इस समझ को विकसित और प्रदर्शित कर सकता है। वह बच्चों को यह समझा सकते हैं, कि महिलाएं शिक्षित होने के योग्य हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों या देश की भलाई के लिए यही आवश्यक हैं। वे हकदार है, शिक्षित होना के लिए केवल इसलिए कि वे मानव हैं और शिक्षा एक बुनियादी मानव अधिकार है। कक्षा शिक्षकों के पास लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए एक आदर्श अवसर है, और बहुत सरल लेकिन प्रभावी प्रथाओं के माध्यम से कक्षा में इसे समझाया जा सकता हैं। अनुसंधान हमें बताता है, कि लिंग आधारित हिंसा को कम करने के लिए हमें बच्चों को ये कौशल सिखाने की जरूरत है, हमारे अंतर हमें अद्वितीय बनाते हैं, लेकिन यह हमारी समानता 'है जो हमें मनुष्य बनाती है। शिक्षकों के पास संदेश देने का अवसर है कि "कोई बात नहीं हम कौन से लिंग हैं, हम सभी की आशाएं और सपने एक ही हैं, और हम सभी को एक दूसरे के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। कोई भी लिंग अन्य से शक्तिशाली या बेहतर नहीं है। हर आदमी उनकी पूरी क्षमता को पूरा करने का अधिकार है।

शिक्षक निश्चित रूप से खुद को और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करके बदल सकते हैं। लिंग पूर्वाग्रह आम तौर पर एक में स्थायी प्रक्रिया है। इसलिए, पूर्वाग्रह की सार्वभौमिक प्रकृति के बावजूद, दृष्टिकोण और व्यवहार को बदला जा सकता है। इतिहास ने प्रदर्शित किया है, कि एक बार जब लोग एक महत्वपूर्ण जागरूकता हासिल करते हैं, तो वे हैं, आधिपत्य को चुनौती दे सकती है। विडंबना यह है कि, शिक्षा की संस्थाएँ वे स्थान हैं, जहाँ शिक्षा में सामाजिकता के माध्यम से लोकतंत्र के मूल्य आंतरिक रूप से समानता पर आधारित है। लेकिन शिक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। शिक्षा स्थिति को सुधार सकती है, और युवतियों को अपने स्वयं के सूचित निर्णय लेने का अवसर दे सकती है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक बाधाओं जैसे, कि साक्षरता की कमी और विद्यालय की उपस्थिति प्राथमिक स्तर की बाधाओं के रूप में खड़ी हो सकती है जिस पर यौन शिक्षा एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, प्रमुख घरेलू सर्वेक्षणों के डेटा बताते हैं, कि भारत में युवाओं के बीच FLE के कथित महत्व का प्रसार अपेक्षाकृत भी छात्रों के लिए समान शैक्षणिक और व्यवहार अपेक्षाएं रखें ;

- शिक्षक को छात्रों को समान रूप से संबोधित करना चाहिए।
- शिक्षक को कक्षा मैं लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी भाग लेने के लिए समान अवसर देना चाहिए।
- शिक्षक को लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना चाहिए।
- शिक्षक को इस तरह से शरीर की भाषा को बनाए रखना चाहिए, न कि लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर करना।
- शिक्षक को कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, और किसी भी स्थिति से बचना चाहिए, जिसमें वह लिंग के आधार पर विद्यार्थियों का अपमान या परेशान कर सकते हैं।
- शिक्षक को गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, चाहे वह ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत और नृत्य हो।
- शिक्षक को कक्षा की गतिविधियों के आयोजन की जिम्मेदारी समानता पर आधारित ही देनी चाहिए।

भारत में यौन शिक्षा की तीन श्रेणियाँ हैं, जो निम्नलिखित हैं

विद्यालय में किशोरों पर आधारित यौन शिक्षा पाठ्यक्रम :- भारत में लगभग 19 करोड़ किशोर हैं, जिसमें 30% से अधिक अनपढ़ हैं। वही पुरुषों और महिलाओं दोनों को लैंगिकता के बारे में बताया ही नहीं जाता हैं, जो अक्सर शिक्षा

की कमी और लैंगिक वादी दृष्टि कोण के कारण होता हैं। सर्वेक्षण से पता चलता हैं, कि किशोरों को किताबों, फिल्मों, मीडिया से लैंगिकता के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। लेकिन ये माध्यम उन्हें प्रजनन प्रक्रिया के बारे में सटीक जानकारी नहीं देते हैं। क्योकि ये मीडिया में किशोरों को स्वस्थ भावनात्मक विकास या जिम्मेदार वयस्कता के बारे में सिखाया जाता हैं, जो उन्हें पाठ्यक्रम की शिक्षा के माध्यम से सिखाया जा सकता हैं।

वयस्कों के लिए परिवार नियोजन :- भारत में परिवार नियोजन का एक विविध इतिहास रहा हैं। हालांकि 1970 के दशक में भारत की आपातकालीन अवधि के दौरान, सरकार ने जनसंख्या –नियंत्रण नीति को लागू किया था। जिसमें निम्न जातियों के व्यक्तियों को लक्षित किया गया था । इस कार्यक्रम को अंतः प्रक्रियाओं से जुड़ी स्वच्छता की कमी और उपयोग की जाने वाली बलपूर्वक तकनीकों के कारण बंद कर दिया गया था। भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता उसकी रूपावली पर निर्भर करती हैं, जैसे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं को गर्भ धारण करने और स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर जांच करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, और परिवार नियोजन के लिए नसबंदी को भी प्रोत्साहित करती हैं।

HIV/AIDS रोकथाम की शिक्षा :- भारत में एचआईवी /एड्स को एक स्वास्थ्य संकट के रूप में माना जाता हैं। इसलिए रोकथाम तकनीक को सरकार द्वारा प्राथमिकता के रूप में निर्धारित किया गया हैं जो एनजीओ को प्रशिक्षण, सहायता और केन्द्रित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रेरित कर रही हैं । भारत में एचआईवी /एड्स की रोकथाम की शिक्षा शैक्षिक सामग्री जैसे समाचार पत्रों और पुस्तिका के साथ- साथ शिक्षित पेशेवरों के साथ बातचीत पर केन्द्रित हैं। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, कि युवा लोगों को यौन शिक्षा का अधिकार है ऐसा इसलिए है,क्योंकि यह एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा उन्हें खुद को दुर्व्यवहार, शोषण, अप्राप्य गर्भधारण, यौन संचारित रोग से बचाने में सहायता प्राप्त करता हैं ।

3.7. यौन स्वास्थ्य शिक्षा में मीडिया की भूमिका The role of media in sexual health education

मीडिया विशेष रूप से समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो,पर्चे, और पत्रिकाएँ, संवेदनशील और स्वास्थ संबंधी मुद्दे पर लोगो की सूचना प्रदान करने व जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता कर सकता हैं। एचआईवी /एड्स जैसे घातक यौन बीमारियों से सुरक्षा तथा पूर्व जागरूकता के लिए मीडिया एक अहम भूमिका निभा सकता हैं ।

भारत में विभिन्न संस्कृतियों का मिलन देखने को मिलता हैं। विविधता लिया हुआ देश अपनी विशिष्टा के साथ कुरीतियों से भी घिरा हुआ हैं। चूंकि भारत में भाषाओं में भी विविधता हैं, भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करने का कार्य मीडिया द्वारा किया जाता हैं। कुछ जाने पहचाने मीडिया साधन जो जागरूकता फैलाने में विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित हैं :-

पोस्टर : पोस्टर में चित्र, ड्राइंग, कट आउट आदि का समावेश होता है। एक अच्छे पोस्टर की विशेषता होती हैं, कि वह एक छोटे से विचार में पूरी बात बता देता हैं, वह एक विचार को कम शब्दों में स्पष्ट रूप से समझा देता हैं। वह विचारों को चित्र के माध्यम से स्पष्ट व सशक्त रूप से प्रस्तुत करता हैं। यह अशाब्दिक और चिन्हों पर आधारित होता हैं, जिसे अनपढ़, कम पढे लिखे व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। यह किशोर वय के बच्चों और छोटे बच्चों को यौनशिक्षा व यौन हिंसा के प्रति जागरूक करने का प्रयास करता हैं। इसमें यौन शिक्षा संबंधी ऐसे पोस्टर शामिल हैं, जिनका उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों या स्वच्छता के साथ-साथ सुरक्षा के बारे में जानकारी देना है।

कोलाज : कोलाज एक समूह हैं, जिसके अंतर्गत चित्र, वस्तु,शब्द या अन्य कोई भी ऐसे सामाग्री जो एक सार्थक दृष्टि से विचारो को प्रस्तुत करती हैं, इसका समावेश होता हैं। दो से अधिक चित्रो का समावेश करके एक संदेश देने का प्रयास किया जाता हैं। ये एक निर्धारित विषय पर आधारित होते हैं। यौन शिक्षा कार्यक्रम में स्वास्थ की दृष्टि से विविधता लाई जा सकती हैं, और विभिन्न और रोचक दृष्टि से विचारों को प्रस्तुत किया जा सकता हैं।

बैनर, फ्लिप चार्ट, फ्लेश कार्ड :- अधिकतर सरकारी योजना जो यौन शिक्षा से संबन्धित हो बैनर के रूप में लगाई जाती हैं। ये बैनर या तो मेंले में कार्यशालाओं में, प्रदर्शनियों आदि में लगाए जाते हैं।

टेलीविज़न – एक माध्यम के रूप में :- इसे तो वैसे बुद्धू बक्सा की उपाधि मिली हैं, लेकिन इसकी पहुच दूरस्थ इलाको तक हैं, जहां तक कोई नहीं पहुच पाता है, वहाँ ये बुद्धू बक्सा पहुच जाता हैं। इसको देखने वाला देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रतिशत हैं। इसमें आजकल सिनेमा के कलाकार भी कार्य करना पसंद करते हैं। यौन शिक्षा पर आधरित ज्ञान वर्धक कार्यक्रम, विज्ञापन जैसे सिनेमा कलाकार अक्षय कुमार का सेनेटरी नेपकिन पर आधारित हैं, जो एक लिंग समानता के साथ रूढ़िवादिता को भी तोड़ता हुआ दिखाई देता हैं। आधुनिक समय में टेलीविज़न शिक्षा के प्रसार का सर्वोत्तम साधन हैं।

सिनेमा :- सिनेमा ,चलचित्र, बड़ा पर्दा एक ऐसा साधन जो हर वर्ग को प्रभावित करता हैं। रूपहले पर्दे नायक और नायिका जन सामान्य के आदर्श होते हैं, उनके द्वारा की गई भूमिकाओं से वे इतने प्रभावित होते हैं, कि वह उनका अनुसरण करने लगते हैं। जैसे भारतीय समाज में महानायक अमिताभ बच्चन को भगवान की तरह पूजा जाता है। इस माध्यम का सामान्य जन को अतिशय प्रभावित करता हैं। यौन शिक्षा व यौन स्वस्थ पर बने चलचित्र जन सामान्य को जागरूक करने के लिए एक उत्तम साधन हैं।

मुद्रणमाध्यम ;- इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाए, और पर्चे आते हैं, जिसके जरिये यौन शिक्षा व यौन स्वस्थ से संबन्धित जानकारी लोगो तक पहुचाई जाती हैं । यह जागरूकता फैलाने का एक उत्तम व सस्ता साधन हैं। इसके अंदर सीमित व सटीक सुचनाए कम शब्दों में प्रेषित कर सकते हैं।

बहुसंचार माध्यम :- बहू संचार माध्यम विभिन्न प्रकार के माध्यमों का समावेश होता हैं,जैसे की कम्प्युटर, मोबाइल, वीडियो प्रॉजेक्टर,आदि । विभिन्न तकनीकों को आपसे मिलकर श्रोताओं को सूचनाएँ दी जाती हैं, जैसे यू –ट्यूब चेनल, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम जो एप के माध्यम से लोगों तक पहुच रहे हैं। यौन शिक्षा से संबन्धित कार्यक्रम को बहुसंचार माध्यम से प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है ।

3.8. लिंग समानता एवं शिक्षक संवेदनशीलता Gender Equality and Teacher Sensitivity

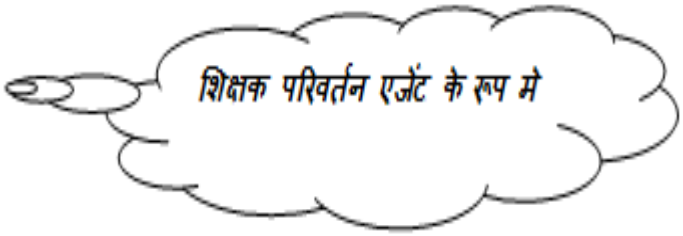

लिंग सामाजिक रूप से निर्मित और सांस्कृतिक रूप से मान्य भूमिकाओं पर आधारित होते हैं, महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएँ उनके बीच असमान शक्ति और कार्य पर आधारित होती हैं। लिंग भूमिका समाज के सभी संस्थानों, जैसे पारिवारिक, शैक्षिक संस्थाएँ, कार्य स्थल, धार्मिक व्यवस्थाएँ, मान्यताएँ, मानदंड आदि द्वारा निर्धारित होती हैं।

लिंग संबंधों में काम नहीं करते हैं, बल्कि यह एक सामाजिक निर्वात हैं, लेकिन यह उन तरीकों के उत्पाद हैं, जिनमें संस्थान संगठित और पुनर्गठित होते हैं। इसमें सामाजिक मानदंड, विश्वास, मूल्य, व्यवहार, मानसिकता, नीतियां, प्रक्रियाएं आदि सभी सम्मलित होती हैं। विदयालयों और घरों के विकास का बुनियादी स्रोत हैं, लिंग और लिंग संबंधों की समझ।

इसमें परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षकों और शिक्षकों का प्रभाव क्षेत्र को कम करके आंका नहीं जा सकता। समाज में महिलाओं के साथ आए दिन भेदभाव का शिकार होती हैं। अधिकतर समाज की संस्थाएँ इस लैंगिक असमानता को लिंग के रूप में प्रदर्शित करती हैं। इस तरह के व्यवहार और दृष्टिकोण विशेष रूप से शैक्षिक संस्थान और शैक्षिक प्रणाली में भी देखने को मिलता हैं, लेकिन शिक्षकों और शिक्षकों का प्रभाव क्षेत्र दोनों ही लैंगिक भूमिकाओं को प्रभावित करते हैं। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता हैं : इसके लिए वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं।

सबके लिए शिक्षा (ईएफए) लक्ष्य 5, जिसका उद्देश्य था प्राथमिक और माध्यमिक में लैंगिक असमानताओं को खत्म करना आवश्यक हैं। सन 2005 तक शिक्षा और लैंगिक समानता हासिल करना है, सन 2015 तक, यह महसूस किया गया, कि शिक्षक एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए है।

शिक्षा, शिक्षक, व शिक्षाविद लिंग समाजीकरण को बहुत प्रभावित करते हैं। लिंग समाजीकरण और विद्यार्थियों की लिंग भूमिकाएँ, जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन चिंता का विषय हैं, कि एक शिक्षक परिवर्तन

एजेंट के रूप में कैसे कार्य करे? समकालीन समाज में प्रचलित लैंगिक मुद्दों, लिंग की अवधारणा और इसके संवेदीकरण हमारी समझ के लिए और अधिक स्पष्ट हो यह अति आवश्यक हैं। "लिंग है सामाजिक रूप से धारित शब्द हैं। इसका निर्दिष्ट सामाजिक अर्थ है, पुरुष और महिला। प्रत्येक समाज विशेष भूमिकाओं पर जोर देता है,जो प्रत्येक लिंग के लिए स्वीकार्य व्यवहार पर आधरित होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लिंग शब्द महिलाओं और पुरुषों की उन विशेषताओं का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो सामाजिक रूप से निर्मित हैं, जबकि सेक्स उन लोगों को संदर्भित करता है जो जैविक रूप से निर्धारित होते हैं। सीखा हुआ व्यवहार लिंग पहचान का निर्माण करता है, और लिंग भूमिकाओं को निर्धारित करता है। लिंग दो श्रेणियों में लोगों का विभाजन करती है, " पुरुष और महिला" । बाल्यावस्था में समाजीकरण, किशोरावस्था में सहपाठी का दबाव, और परिवार में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएं सामाजिक रूप व्यवहार, दृष्टिकोण और भावनाएँ से मिलती हैं। लिंग आधारित सामाजिक व्यवस्था इन अंतरों को बनाए रखता है "। इसके अलावा "लिंग संबंध के व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की एक जटिल प्रणाली हैं, जिसमें वर्चस्व और शक्ति से महिलाएं और पुरुष अपना सामाजिक रूप बनाए रखते हैं। इसके अलावा "यह स्पष्ट है कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से रूढ़ियाँ द्वारा लिंग के अनुसार व्यवहार करने के लिए समाजीकरण किया जाता है। हालांकि यह भी स्पष्ट है, जब कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, तो वह विकास के अवस्था में होता हैं, इस समय एक स्वस्थ शिक्षा देकर लिंग भूमिका के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण भी प्रदान कर सकते हैं। लिंग और लिंग संबंधों की समझ, विद्यालयों और घरों के विकास के बुनियादी स्रोत हैं।

इसमें परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षकों और शिक्षकों का प्रभाव क्षेत्र को कम करके आंका नहीं जा सकता।

लिंग और शिक्षा : "दुनिया भर में शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता "सभी के लिए शिक्षा' (EFA) है मजबूती से साथ कार्य कर रही हैं। डकार फ्रेमवर्क (2005) शिक्षा के अंतर्गत एक समझौता किया हैं, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लैंगिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास कर रहा हैं। UNICEF लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान अवसर प्राप्त हों इसका पूर्ण प्रयास किया जा रहा हैं। लिंग भेदभाव के कारण विद्यालय नामांकन में लड़कियों का प्रतिशत कम ही हैं, और शाला भी वह जल्दी त्याग देती हैं। विद्यालयों में संसाधनो की कमी के कारण पर्याप्त रूप से विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण , महिला शिक्षिका की कमी के कारण लड़कियां विद्यालय नहीं जा पाती हैं। लैंगिक भेदभाव को दूर करना ही लैंगिक समानता की शिक्षा में नहीं समझा

जाना चाहिए, इसके साथ ही पारंपरिक प्रथाए जो व्यक्ति की प्रगति को रोकती हैं, उसका दूर करने का कार्य भी शिक्षा द्वारा ही संभव हैं। अतः पारंपरिक भूमिकाओं से अलग हटकर नई सोच लाने का कार्य शिक्षा द्वारा संभव हैं। लिंग समानता शिक्षा में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, ताकि लैंगिक समानता शिक्षा को अधिक प्रभावी ढंग व वास्तविक बनाने के लिए कार्य कर सके।

एजेंट के रूप में शिक्षकों की भूमिका: जीवन के सभी क्षेत्रों में समाज में लैंगिक मुद्दे प्रचलित हैं। इन लिंग मुद्दों को कम करने के लिए हमें सोच में परिवर्तन करना होगा। समाज की युवा पीढ़ी की सोच ही समाज में परिवर्तन ला सकती हैं, उनके अभिनव विचार और व्यवहार समाज में एक सकारत्मक और लिंग भेदभावरहित समाज दे सकता हैं। लेकिन यह निर्भर हैं, एक अच्छी शिक्षा तथा एक आदर्श शिक्षक, हम अच्छे शिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है, जिन्हें ज्ञान हो लिंग संबंधी मुद्दों का और जिनके पास उसे प्रस्तुत करने का एक विशेष दृष्टिकोण हों। यह देखा गया है, कि शिक्षक समाज के अनुसार निर्धारित लैंगिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं, जैसे समाज में लड़कियों से अपेक्षा की जाती हैं, उसी भूमिका को सुदृढ़ करते हैं, और लड़कों से जो अपेक्षित होता हैं, उस भावना को सुदृढ़ करते हैं। शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, कि वह लड़कों को सफल होने पर प्रोत्साहित करे और लड़कियों को असफल होने पर हत्तोसहित करे। कहते हैं, न एक शिक्षक किसी का भी निर्माण कर सकता हैं, और किसी का भी विनाश। बालक की प्रथम पाठशाला हैं परिवार, जहां बालक समाज में रहना और व्यवहार करना सिखाता हैं। बाद में वह पाठशाला जाता हैं, परिवार में जो कार्य माता –पिता करते हैं, वही कार्य शिक्षक करते हैं, लेकिन दायरा बढ़ जाता हैं। जैसे –जैसे एक बालक बड़ा होता जाता हैं, वह सबसे प्रभावित होता जाता हैं, सर्वाधिक प्रभावित होता है, वह शिक्षक से।

शुरुआती परवरिश में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे और युवा छात्रों के पैटर्न उनके विचारों और विश्वासों को बदल सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक को इस तथ्य से लगातार अवगत होना चाहिए, कि उसका कार्यों / रवैया / व्यवहार / परिप्रेक्ष्य / दृष्टिकोण / तरीके / माइंड-सेट एक बच्चे की लिंग भूमिका को आकार देने में मदद करेगा। विद्यार्थियों के पास उनके लक्ष्य बनाने और प्राप्त करने के समान अवसर हैं, वह यह सुनिश्चित करने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। लिंग के मुद्दे के बारे में शिक्षकों को गंभीर होना चाहिए। शिक्षकों द्वारा समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए कुछ सामाजिक मुद्दे पर पूर्व ज्ञान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की न केवल लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक को पढ़ाने का काम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि लिंग समानता शिक्षा के लिए भी सतत प्रयास करना चाहिए। शिक्षक भूमिका विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श के रूप में होती हैं। अतः वह कई सामाजिक मुद्दे है, जिनका समाधान खोजना में एक अहम भूमिका निभा सकता हैं। जैसे की 1) बाल दुर्व्यवहार 2) घरेलू हिंसा।

1) **बाल दुर्व्यवहार:** इसके अंतर्गत शारीरिक शोषण, उपेक्षा, भावनात्मक शोषण शामिल थे, बाल यौन शोषण भी एक जटिल समस्या हैं, जो आजकल विद्यालयों में भी उठ रही हैं। इससे बच्चे का मानसिक विकास पर बहुत ही बुरा प्रभाव पढ़ रहा हैं। बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण जैसे:

- स्पर्श करना (एक तरह से जिससे बच्चा असहज महसूस करता है)
- चुंबन (एक तरह से है कि बच्चे असहज महसूस करता है)
- बच्चे के निजी अंगों को देखना
- बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाना
- बच्चे को स्पर्श करना
- बाल पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति
- ओरल सेक्स
- बलात्कार
- मौखिक यौन शोषण

लैंगिकता की शिक्षा: उचित आयु के हिसाब से यौन शिक्षा संभव और आवश्यक है. तीन वर्ष की आयु से बच्चों को अपने निजी भागों के सही नामों को सिखाया जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वहां छूने की अनुमति किसी को भी नहीं है. अगर कोई जबरन उन्हें छूता है, तो बच्चे को तुरंत आपको बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बाल यौन शोषण से बच्चों पर होने वाले प्रभाव को एक शिक्षक ही सकारत्मकता के साथ रोक सकता हैं। शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित होना चाहिए, कि बालक अपनी मन की बात शिक्षक से आसानी से कह सके। दूसरा जो मुद्दा है, घरेलू हिंसा जिसका वर्णन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं।

घरेलू हिंसा ;- इस अध्याय में घरेलू हिंसा से बच्चों में होने वाले प्रभाव का वर्णन करनेगे

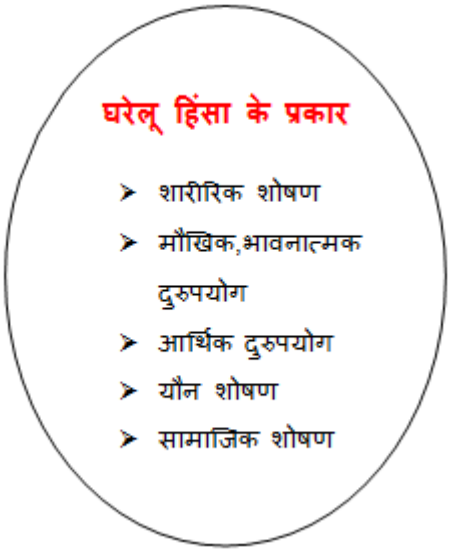

घर में होने वाले झगड़ों-कलह या और भी ऐसे कई कारक हैं, जिसमें ध्यान न दे पाने के कारण बच्चे के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसका बचपन छोटी उम्र में ही दम तोड़ने लगता है।घरों में होने वाली घरेलू-हिंसा, मार -पीट, गाली-गलौज इत्यादि से बच्चा सहम सकता है। या फिर उसमें विद्रोह की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। उसकी प्रतिक्रिया आम बच्चों से अलग-थलग दिखाई पड़ सकती है। इसलिए बच्चों के लिए ही सही किसी भी तरह की हिंसा को घर में न करें। अक्सर माता-पिता बच्चों के सामने बुरी तरह झगड़ते हैं। कई बार तो बच्चे से दोनों में से चुनाव करने को भी कहा जाता है। अपने अहम् की तुष्टि करते वक्त वे भूल जाते हैं, कि उनके मासूम बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी। आगे चल कर बच्चे के दिमाग में गलत भावनाएं पनपती हैं। यहां तक की वह हिंसक भी हो सकता है।

ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए ? इसके उपाय हैं :-

A. शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं को खुलकर शिक्षा देना चाहिये, ताकि वे घरेलू हिंसा की शिकार न हों। उन्हें काउंसिलिंग तथा कानूनी ज्ञान की जानकारी देना उचित होगा।
B. गांव में यह पता लग जाता है, कि किसके घर में समस्या चल रही है। शहर में यह पता नहीं लगता है इस कारण इसकी हर स्त र पर बात करने की आवश्याकता है। शहर में समस्याग्रस्त् महिलाओं के संदर्भ में पुरूषों पर काउंसलिंग का असर नहीं होता। इसी कारण पुरूष छात्रों के साथ भी काउंसिलिंग का सिलसिला स्कूरल-कालेज के स्तार से ही शुरू हो जाना चाहिये।

C. शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों में आत्मतविश्वाोस पैदा हो, ऐसा प्रयास करना चाहिये। यह काम शिक्षकों का है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में इस मुद्दे को शामिल किया जाना चाहिये।

3.9. लैंगिक संवेदनशीलता और शिक्षा Gender Sensitivity and Education

लैंगिक संवेदनशीलता और शिक्षा के तहत इन बिन्दुओं की व्याख्या करना आवश्यक हैं पाठ्यक्रम, शिक्षण संस्थान और शिक्षक भूमिका।

विद्यालयों में वार्षिक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित सुझावों को सम्मलित करके लैंगिक संवेदनशीलता के लिए प्रयास किए जा सकते हैं:-

पाठ्यचर्या / पाठ: पाठ्यचर्या में ऐसी पठन सामग्री का चयन किया जाना चाहिए जिसमें लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई सामग्री न हो। लिंग समानता लाने पर ज़ोर दिया गया हों। परंपरागत लिंग भूमिकाओं के आधार पाठों में चित्र, उदाहरण न हों। पाठ्यक्रम के अलावा जो छुपा हुआ पाठ्यक्रम हैं, जिसके तहत हम बच्चों का नैतिक विकास करते हैं, उसका समावेश होना चाहिए।

शैक्षिक प्रणाली/ शैक्षिक नीतियां /शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम: शैक्षिक प्रणाली को लिंग के प्रति संवेदनशील और लिंग के अनुकूल होने की आवश्यकता है। यह लड़कियों और लड़कों के लिए गतिविधियाँ, खेल में परिलक्षित होना चाहिए। इसके अलावा नेतृत्व भी एक लिंग भेदभाव से रहित दी जानी चाहिए। लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और शैक्षणिक पाठ्यक्रम में इसका समावेश होना चाहिए। सभी शिक्षकों को लिंग विशेष रूप में सभी के प्रति एक समान रूप से संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षकों को लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिये जाने चाहिए। सभी नीतिया, कार्यक्रम लैंगिक संवेदनशील होना चाहिए।

लिंग विशेषज्ञों द्वारा दिशानिर्देश: इस क्षेत्र में विशेषज्ञयता प्राप्त बुद्धिजीवियों को समय अनुसार मार्गदर्शन व दिशा निर्देश देने चाहिए।

सरकारी और गैर सरकारी की भूमिका संगठन: सरकारी और गैर सरकारी संगठन द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनकी आवश्यकता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए सहायता प्रदान करे, सहयोग करें लिंग भेदभाव को कम करना और लिंग समानता को बढ़ावा देना सभी स्तरों पर समानता लाने का प्रयास करे । सरकारी शब्दावली में लिंग संवेदी शब्दावली का उपयोग किया जाए। लैंगिक तटस्थ भाषा को सभी स्तरों पर बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसे की विद्यार्थियों में, कर्मचारियों, संस्थानों में और प्रबंधन स्तर पर आदि।

अतिरिक्त फ्रिंज लाभ: ग्रामीण क्षेत्रों महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की पेशकश की जानी चाहिए, जिसके लिए छात्रवृत्ति, मध्याहन भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। जिसमें पौष्टिक आहार सम्मलित होना चाहिए। महिलाएं शिक्षा एक मौलिक अधिकार हैं।

विद्यालय -अभिभावक भागीदारी: शिक्षण संस्थान में विद्यालय -अभिभावक भागीदारी को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि घरों में, विद्यालयों में लिंग संबंधी मुद्दों की पहचान की जा सके।

लिंग प्रशिक्षण / संवेदीकरण सत्र: माता-पिता, शिक्षकों, कर्मचारी, प्रशासक और स्थानीय अधिकारी के लिए लिंग प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

लिंग विशेषज्ञों द्वारा निगरानी: लिंग संवेदनशीलता प्रगति की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए तथा लिंग विशेषज्ञों द्वारा और इसे बनाए रखने के लिए समय –समय पर सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए।

लिंग संवेदनशीलता परामर्श: विद्यार्थियों,कर्मचारियों,शिक्षकों और माता-पिता आदि सभी को लिंग संवेदनशीलता परामर्श के लिए उपलब्ध परामर्शक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ताकि सभी में जागरूकता का प्रसार हों।

बजट का आवंटन: लिंग संवेदनशील को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त बजट एजेंडा शैक्षिक अधिकारियों और विद्यालयों प्रदान किया जाना चाहिए।

वरिष्ठ नेतृत्व / सरकार से प्रतिबद्धता: शीर्ष नेतृत्व लिंग संबंधी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एक सफल और कुशल नेतृत्व लिंग समानता और समानता उपायों का समर्थन करने के साथ उसका कुशलता से निरूपण भी करता हैं। वह

प्रतिबद्धता के साथ लैंगिक समानता से संबन्धित विचारों का संचरण कर सकता हैं। वह संस्थागतकरण की प्रक्रिया में लिंग समानता की प्रासंगिक नीतियों और प्रक्रियाओं आदि को सम्मलित कर सकता हैं।

लिंग संवेदनशील संगठनात्मक संस्कृति: संगठनात्मक परिवर्तन को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता है, लिंग संतुलित स्टाफ, लिंग संवेदनशील को बढ़ावा देना। प्रबंधन में महिलाओं और पुरुषों का समान मूल्य निर्धारण कार्यशैली आदि होनी चाहिए।

शैक्षिक कार्यक्रम व सामग्री की लिंग समानता की दृष्टि से समीक्षा : संस्थानों का शैक्षिक कार्यक्रम व सामग्री की लिंग समानता की दृष्टि से समीक्षा करवाना चाहिए। लिंग विशेषज्ञ द्वारा समय-समय पर पाठ्यक्रम, नीतियों, कार्यक्रमों की समीक्षा आदि होनी चाहिए।

एक लिंग उत्तरदायी विद्यालय का निर्माण: एक लिंग उत्तरदायी विद्यालय वह है, जहाँ शैक्षणिक, सामाजिक और भौतिक वातावरण और इसके आसपास समुदाय दोनों समूह लड़कियों और लड़के की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान रखता है। शिक्षण सहित शैक्षिक वितरण कार्यप्रणाली, शिक्षण और शिक्षण सामग्री, कक्षा शैक्षिक प्रक्रियाओं का परस्पर क्रिया और प्रबंधन आदि सभी है लिंग उत्तरदायी विद्यालय के लिए वातावरण निर्माण में सहायक हैं।

विशेष समितियों / समूहों के संस्थागतकरण में शैक्षणिक सेटिंग्स: लिंग समानता लाने के लिए अनुकूल तथा सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के लिए संस्थागत विशेष समितियों को बनाना महत्वपूर्ण है : जैसे

- आचार संहिता तैयार करने और लागू करने के लिए समिति
- कार्यस्थल पर लिंग हित रक्षा के लिए समिति
- यौन उत्पीड़न समिति
- बाल दुर्व्यवहार समिति

लिंग मुख्य धारा: लिंग संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक हैं, समाज के सभी संस्थानों में मुख्य धारा के अंतर्गत सभी लिंग की समान भागीदारी। मुख्यधारा का अर्थ हैं, कि सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर कानून, नीतियों या कार्यक्रमों में महिला और पुरुष का समान रुप् से कार्य।

अभ्यास प्रश्न :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :-

1. यौन शिक्षा ले लिए भारत में चलने वाले कार्यक्रम हैं
   a. FLE
   b. UPL
   c. CWD
   d. PIL

2. विश्व में यह रोग त्रासदी का कारण हैं, जिसके कारण यौन शिक्षा अनिवार्य विषय बन गई हैं।
   a. HIV/AIDS
   b. CORONA
   c. TB
   d. CANCER

3. यौन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये संघटन कार्य कर रहे हैं
   a. WHO
   b. UNSCO
   c. UNICEF
   d. उपरोक्त सभी

लघूत्तरीय प्रश्न:-

1. यौन शिक्षा क्या हैं, इसकी अवधारणा को समझाए ?
2. यौन शिक्षा में क्या –क्या कठिनाई आती हैं ?
3. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यौन शिक्षा का महत्व की व्याख्या कीजिये ?
4. यौन शिक्षा के प्रसार में शिक्षक क्या भूमिका हैं?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :-

1. यौन शिक्षा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता पढ़ता हैं और उसे कैसे हल किया जा सकता हैं?
2. लैंगिक समानता में शिक्षक की भूमिका की सौउदाहरण व्याख्या कीजिये ?
3. लैंगिक समानता में शिक्षक पाठ्यक्रम का प्रयोग कैसे कर सकता हैं?
4. FLE के कार्यों की व्याख्या कीजिये ?

क्रियात्मक कार्य :-

विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य यौन शिक्षा में एक नुक्कड़ नाटक की पथकथा लिखे।